

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)
झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि।
(झाम्फकोफेड लिंग, राँची)
चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, हेसाग, राँची— 834003, झारखण्ड
E.mail I.D.:- mdjhamfcofed@gmail.com Ph No : 0651-3510563/7004790869 Web Site: - www.jhamfcofed.com

अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) झारखण्ड सरकार से झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि। (झाम्फकोफेड लिंग), को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में फेडरेशन के आधारभूत संरचना विकास अंतर्गत Sustainable Harvesting of Minor Forest Produce by Modern Tools and technique योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस योजना अंतर्गत झाम्फकोफेड से संबद्ध सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह आदि के सदस्यों को लघुवनोपज के विनाश विहीन विदेहन हेतु प्रशिक्षण उपरान्त Sustainable Harvesting Tool Kit उपलब्ध कराना है। इसके लिए विहित प्रपत्र एवं निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह द्वारा दिनांक 31.10.2023 (मंगलवार) के अप्र० 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में इच्छा की अभिव्यक्ति झाम्फकोफेड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

विहित प्रपत्र, नियम एवं शर्तें झाम्फकोफेड कार्यालय के सूचना पट् एवं झाम्फकोफेड के वेबसाईट:- www.jhamfcofed.com पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह० /—
प्रबंध निदेशक
झाम्फकोफेड लिंग, राँची

झाम्फकोफेड से सम्बद्ध सहकारी समिति/लैम्पस/पैक्स/ SHGs/PMVDVKs में लघुवनोपज के विनाश—विहीन विदोहन के प्रशिक्षण एवं Modern Tools/Equipments के वितरण

हेतु प्रपत्र –

1. सहकारी समिति /SHG/PMVDVK का नाम :—
2. पता :— ग्राम : पो.
3. थाना:— जिला पिन :—
4. सहकारी समिति /SHG/PMVDVK से जुड़ने की तिथि/वर्ष :—
5. सदस्य द्वारा किये जाने वाले वनोपज संग्रहण की विवरणी :—

क्र.	लघुवनोपज का नाम	संग्रहण की अनुमानित मात्रा
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

6. अद्यतन अंकेक्षण प्रति वर्ष :.....(छायाप्रति संलग्न)
7. अद्यतन निर्वाचन वर्ष :.....(छायाप्रति संलग्न)
8. अद्यतन व्यापार (लाभ—हानि विवरणी)(छायाप्रति संलग्न)
9. प्रबंध कारिणी द्वारा कम से कम 60 सदस्यों की विवरणी जिसमें महिला 60% अनु०ज०ज०/अनु०ज० 60% जो टूल किट के लिए आवेदित/अनुमोदित की गयी है। (सच्ची प्रतिलिपि संलग्न)

10. निकटतम् हाट—बाजार — बाजार का नाम बाजार का दिन
11. विनाश—विहिन विदोहन का प्रशिक्षण प्राप्त है या नहीं – (है तो किस विभाग/संस्थान के द्वारा है एवं कब प्रशिक्षण प्राप्त हुआ) यदि किसी प्रकार के उपकरण प्राप्त हो तो उसकी जानकारी –
12. समिति सदस्य (लाभुक) के परिवार में वनोपज संग्राहक के सदस्यों की संख्या –
13. क्या समिति/SHG/PMVDVK को लघुवनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाई प्रदान की गई है, यदि हाँ तो इकाई का नाम और किस विभाग के द्वारा ब्योरा दें–
14. सदस्य द्वारा वन अधिकार कानून 2006 (Forest Rights Act 2006) के लाभुक होने संबंधी जानकारी—

(सत्यापन)

मुखिया/BPM

नाम –

हस्ताक्षर –

(मुहर के साथ)

दिनांक –

हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

अध्यक्ष/सचिव

नियम एवं शर्ते :-

1. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर संबंधित पंचायत के मुखिया / BPM द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
2. आवेदन के साथ लाभुक का पहचान पत्र यथा आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक सहकारी समितियाँ / लैम्पस / पैक्स / वन धन विकास केन्द्र / स्वयं सहायता समूह से 60 प्रतिशत महिला एवं 60 प्रतिशत अनु०ज०जा० / अनु०जा० का चयन किया जाएगा।
4. एक सहकारी समितियाँ / लैम्पस / पैक्स / वन धन विकास केन्द्र से अधिकतम् 60 तथा स्वयं सहायता समूह से अधिकतम् 10 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
5. झाम्फकोफेड से संबद्ध सभी सहकारी समितियाँ / लैम्पस / पैक्स आवेदन के साथ अद्यतन अंकेक्षण, निर्वाचन, परफॉर्मेन्स एवं व्यापार आदि संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
6. प्रशिक्षण एवं Harvesting Tool Kit वितरण उपरान्त सभी सहकारी समितियाँ / लैम्पस / पैक्स / प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र / स्वयं सहायता समूह को Tool Kit उपयोग करते हुए फोटो / विडियो झाम्फकोफेड कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
7. झाम्फकोफेड द्वारा गठित कमिटि का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

*Neelam
29/09/23* प्रबंध निदेशक
झाम्फकोफेड लिं०, राँची।

3.10.23